न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री कुलराज मीणा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 2/17

दायर दिनांकः–01–05–17

निर्णय दिनांकः– 26-7-2018

1.श्री सीता पुत्री नाकला जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जाम्बुरेल हाल.मु. मोहेडा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0)

2. रामी पुत्री नाकला जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जाम्बुरेल तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0)

– अपीलान्टगण

–::बनाम::–

1. गोविन्दा पिता सरदारा जी जाति मीणा ना0बा0स0 पिता सरदारा पिता मावजी निवासी मानपुरा तहसील पिपलखुंट जिला प्रतापगढ
2. कारी पुत्री धापुबाई पत्नि.राजु मीणा निवासी जाम्बुरेल हाल मु. जराली तहसील पिपलखुंट जिला प्रतापगढ राज.
3. ग्राम पंचायत साखथली खुर्द जरीये सरपंच ग्राम पंचायत सा.खुर्द

–रेस्पोन्डेन्टगण

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 557 मौजा साखथली खुर्द तस्दिक दिनांक 20/05/2006 द्वारा ग्राम पंचायत साखथली खुर्द अन्तर्गत धारा 75 (1) (F) भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–1–श्री अनिल पान्डे अभिभाषक अपीलान्ट

–::निर्णय::–

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि अपीलान्टगण द्वारा एक अपील विरूद्व रेस्पोन्डेन्टगण अन्तर्गत धारा 75 (1) (F) विरूद्व नामान्तरण संख्या 557 फेसल दिनांक 20/05/2006 इस आशय की पेश कि है कि, अपीलान्टगण एवं रेस्पोन्डेन्ट कमांक 2 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

–2–

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ(राज.)

Scanned with CamScanner

नही है क्योकी रेस्पोन्डेन्ट कमांक 1 धापुबाई का पुत्र नही है रेस्पोन्डेन्ट कमांक 1 ने गलत तरीके से उक्त नामान्तरण संख्या 557 अपील कि चरण सख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर दर्ज करवालीया है जो गलत है क्योकी मृतक धापुबाई के विधीक वारीसान केवल रेस्पोन्डेन्ट कमाक 2 जो उक्त आराजी पर काबिज काश्त है फिर भी रेस्पोन्डेन्ट कमांक 1 ने गलत तरीके से विरासत का नामान्तरण खुलवाया है अपीलान्ट को उक्त बात कि जानकारी दिनांक 11/04/2017 को हुई जब अपीलान्ट पटवारी हल्का साखथली खुर्द के पास धापुबाई की मृत्यु के उपरान्त विरासत से नामान्तरण खुलवाने गये इसके बाद अपीलान्ट ने श्रीमान तहसीलदार साहब अरनोद के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20/04/2017 को नामान्तरण की नकल प्राप्त कर उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है जो अन्दर मियाद होकर श्रीमान के योग्य है क्योकि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण के बारे में इससे पुर्व कोई जानकारी नही थी कि रेस्पोन्डेन्ट कमांक 01 ने रेस्पोन्डेन्ट कमांक 3 से मिलकर विरासत से अपने को ही वारीश दर्शाते हुए उक्त विवादित नामान्तरण संख्या 557 दिनांक 20/05/2006 को तस्दिक करवाया जो गलत तथ्यों पर आधारित होकर विधी विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है ग्राम पंचायत साखथली खुर्द द्वारा कतई गलत व फर्जी व्यक्ति के नाम से नामान्तरण संख्या 557 खोला जो शुन्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है अपीलान्ट अधिकारी है कि उक्त विवादित नामान्तरण संख्या 557 तस्दीक दिनांक 20/05/2006 को निरस्त किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट कमांक 2 जो मृतक धापुबाई कि जायन्दा वारिस है का नाम धापुबाई के हिस्से कि आराजी पर जोडा जावे आदी ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगणो को नोटीस तामील किये गये । रेस्पोन्डेन्ट कमांक 1 व 2 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करने का अवसर चाहा जो दिया गया रेस्पोन्डेन्ट कमांक 3 अनुपस्थित रहे । इसके बाद रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एक पक्षी कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वकील अपीलान्ट ने एक पक्षी बहस समायन कि वकील अपीलान्ट को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेज धापुबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र व भामाशाह कार्ड का अवलोकन करने से विदित होता है कि धापुबाई कि मृत्यु सन् 1999 में हो चुकी थी तथा भामाशाह कार्ड में गोविन्दा का जन्म दिनांक 07/02/2002 को होना अंकित है तथा भामाशाह कार्ड में गोविन्दा कि माता का नाम भवरीबाई मीणा व पिता का नाम सरदारा मीणा अंकित है इसके अलावा मतदाता सुची 2009 प्रस्तुत कि गई है जिसमें सरदारा कि पत्नि का नाम

—4—

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़(राज.)

Scanned with CamScanner

भवरीबाई अंकित है इसके अतिरीक्त अपीलान्टगणो कि और से कार्यालय ग्राम पंचायत मोटा धामनीया पंचायत समिती पिपलखुंट के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया जहा का सरदार पिता मावजी मुल निवासी है जो रेस्पोन्डेन्ट कमांक 1 गोविन्दा का पिता है।

प्रमाण पत्र में भी सरदारा कि पहली पत्नि धापुबाई से उनकी 1 पुत्री कारी जो रेस्पोन्डेन्ट कमांक 2 है होना बताया गया है तथा धापुबाई की मृत्यु हो जाने के पश्चात सरदारा ने दुसरा विवाह भवरीबाई से किया जाना तथा भवरीबाई कि तीन संतान जिसमें पहली संतान गोविन्दा होना अंकित है उक्त विवेचन के प्रकाश में यह स्पष्ट हे कि मृतक धापुबाई जो नाकला कि पुत्री थी कि जायन्दा वारिसान उसकी पुत्री कारी है और रेस्पोन्डेन्ट कमांक 1 गोविन्दा सरदारा कि दुसरी पत्नि भवरीबाई का पुत्र है जिसका धापुबाई से कोई सम्बन्ध नही है और नाही गोविन्दा का विवादीत आराजी में कोई हक व अधिकार भी नही है चुकी वादग्रस्त आरापजीयात मृतक धापुबाई को अपने पिता नाकला से विरासत से प्राप्त हुई थी जो मृतक धापुबाई कि पेतृक आराजीयात है रेस्पोन्डेन्ट कमांक 1 गोविन्दा के पिता सरदारा ने जो विरासत से नामान्तरण संख्या 557 खुलवाया है वह गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम साखथली खुर्द प0ह0 साखथली खुर्द कि खाता संख्या 537 में स्थित विवादीत उपर वर्णित आराजीयात पर खुलवाये गये नामान्तरण संख्या 557 फेसल दिनांक 20/05/2006 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार अरनोद बाद जॉच धापुबाई कि विरासत का नामान्तरण दायर करे । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner